

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आज प्रतिकर की राशि अदायगी/वसूली हेतु नियत है।

उक्त मूल अभिलेख आहूत किये जाने के लिए प्रेषित मांग-पत्र सहायक अभिलेखापाल श्री प्रदीप शर्मा की इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "उक्त मूल प्रकरण क्रमांक 477/07 का विनष्टीकरण सरल क्रमांक 1023 पर दिनांक : 31/12/2015 को किया जा चुका है। इस टीप के साथ ही विनष्टीकरण रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर की सरल क्रमांक 1023 की छायाप्रति भी सहायक अभिलेखापाल श्री प्रदीप शर्मा द्वारा प्रेषित की गई है, जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 477/2007 सेन्ट्रल बैंक विरुद्ध अरुण शर्मा अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में आरोपी को माननीय असत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार राजीनामा में दिनांक : 30/11/2013 को दोषमुक्त किया गया है और तत्पश्चात् उक्त प्रकरण का मूल अभिलेख दिनांक : 31/12/2015 को विनष्ट कर दिया गया है। ऐसी दशा में आरोपी के उक्त मूल आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण उसके विरुद्ध अर्थदण्ड की राशि अदायगी संबंधी हस्तगत एम.जे.सी. को चलाये रखने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलतः ऐसी दशा में उक्त अपीलीय प्रकरण में आरोपी अरुण पुत्र कमलेश शर्मा, निवासी :- ग्राम माहौ को दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पंकज शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद